उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीए काम्प्लेक्स
A–1/4, लखनपुर
कानपुर–208024
दूरभाष : 2502851–53 (PBX)
फैक्स : (0512) 2590797
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : feedback@upsidc.c

संदर्भ सं0 3903-3909 /यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 03.9.2019

कार्यालय–आदेश

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की दिनांक 01.08.2019 को आहूत 33वीं बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजनाओं में विकसित औद्योगिक/व्यवसायिक–फैसेलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाउसिंग/संस्थागत उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के निरस्तीकरण के उपरान्त पुनर्जीवीकरण के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 803/एसआईडीसी–आईए–पालिसी इश्यू मिस0 दिनांक 08.08.2014 के बिन्दु–"ज" एवं प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में कार्य प्रतिनिधायन सम्बन्धी कार्यालय आदेश सं0 2377–81/एसआईडीसी/आई0ए0 दिनांक 01.12.2016 तथा यथासंशोधित आदेश सं0 419–422/एसआईडीसी/एमडी कैम्प दिनांक 03.02.2017 के अधीन निरस्त भूखण्डों के पुर्नजीवीकरण से सम्बन्धित प्रावधानों को एतदद्वारा अवक्रमित करते हुए निम्नवत् पुर्नजीवीकरण नीति लागू की जाती है:–

ज– पुनर्जीवीकरण

(क) प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों की विकास योजनाओं में दर्शाए गए समस्त भू–उपयोगो के वर्तमान में निरस्त समस्त भूखण्डों के पूर्व आवंटियों को एक समान अवसर प्रदान करते हुए पुनर्जीवीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम दिनांक 31.12.2019 होगी।

(ख) मात्र उन्हीं भूखण्डों के पुनर्जीवीकरण पर विचार किया जाएगा जो निरस्तीकरण के उपरान्त किसी अन्य आवंटी के पक्ष में आवंटित नहीं किये गये हों।

(ग) पुनर्जीवीकरण योग्य सभी प्रकरणों में गुण–दोष के आधार पर परीक्षणोंपरान्त भूखण्ड के आवंटन का पुनर्जीवीकरण निम्नवत देय पुनर्जीवीकरण शुल्क के साथ अनुमन्य होगा:–

पुनर्जीवीकरण पत्र निर्गत करने की दिनांक को प्रभावी प्रीमियम दर से ऑकलित सम्बन्धित भूखण्ड की कुल प्रीमियम धनराशि तथा पूर्व आवंटी जिसके पक्ष में पुनर्जीवीकरण किया जा रहा है, हेतु लागू कुल प्रीमियम धनराशि जो उसके साथ निष्पादित पट्टाविलेख में दर्शाई गई है (यदि निरस्तीकरण से पूर्व पट्टाविलेख निष्पादित हो चुका है) अथवा निगम के नियमानुसार पट्टाविलेख में दर्शाई जाती (यदि निरस्तीकरण से पूर्व पट्टाविलेख का निष्पादन किया जाता तो) के अन्तर की कुल धनराशि

Scanned with CamScanner

अथवा

निम्नांकित तालिका के अनुसार ऑकलित धनराशि, जो भी अधिक हो, पुनर्जीवीकरण शुल्क के रूप में देय होगी:–

क्र0 सं0	आवंटन/हस्तांतरण की तिथि से पुनर्जीवीकरण की तिथि तक व्यतीत समयावधि	देय पुनर्जीवीकरण शुल्क (प्रति वर्ग मी0)
1	5 वर्ष तक	पुनर्जीवीकरण की दिनांक को प्रभावी प्रीमियम दर का 30 प्रतिशत
2	5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष से कम	पुनर्जीवीकरण की दिनांक को प्रभावी प्रीमियम दर का 50 प्रतिशत
3	10 वर्ष से अधिक	पुनर्जीवीकरण की दिनांक को प्रभावी प्रीमियम दर का 75 प्रतिशत

उक्त देय पुनर्जीवीकरण शुल्क सभी प्रकार की श्रेणियों यथा अतितीव्र गति, तीव्र गति तथा धीमी गति के औद्योगिक क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा। उपरोक्तानुसार पुनर्जीवीकरण शुल्क की मांग की जायेगी जो एक मुश्त अथवा किश्तों में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त मांगी जा सकेगी।

(घ) निरस्त भूखण्ड के सापेक्ष प्राधिकरण के अद्यतन प्रचलित नियमानुसार भुगतान किये जाने वाले देयों जैसे पुनर्जीवीकरण पत्र की दिनांक तक देय अवशेष प्रीमियम किश्तें एवं उस पर देय ब्याज, लीजरेन्ट, रख–रखाव शुल्क एवं समयविस्तारण शुल्क ब्याज सहित आदि समस्त देयों का भुगतान भी पूर्व आवंटी को नियमानुसार करना होगा।

(ङ) भूखण्ड उपयोग हेतु पुनर्जीवीकरण की दिनांक से कुलें 2 वर्ष का समय उपलबध होगा। इस मध्य भूखण्ड के उपयोग की प्रगति का अनुश्रवण समय–समय पर क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा किया जाएगा तथा आवश्कतानुसार उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम के पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 671–672/एसआईडीसी–आई‌ए–पालिसी वान्ल्यूम–17 दिनांक 14.06.2017 के प्रस्तर–3(अ) के अनुसार इकाई स्थापना/अनुमन्य उपयोग हेतु विभिन्न चरणों की कार्रवाई सुनिश्चित कराए जाने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने पर भी यदि आवंटी द्वारा नोटिस अवधि में सम्बन्धित चरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(च) दिनांक 31.12.2019 के पश्चात सभी प्रकृति के भूखण्डों के पुनर्जीवीकरण हेतु प्राप्त मात्र उन्हीं आवेदन पत्रों पर विचार किया जाएगा जोकि आवंटन निरस्तीकरण की दिनांक से 30 दिन के अन्दर प्राप्त होगें।

(छ) सभी प्रकृति के भूखण्ड़ों के आवंटन पुनर्जीवीकरण के प्रकरण प्राधिकरण के मुख्यालय सदंर्भित किए जाएगें जिन पर निर्णय सक्षम अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(संजय प्रसाद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner

(8)

/यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मा0 सदस्यगण, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, यूपीएसआईडीसी, मुख्यालय, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, यूपीएसआईडीसी, मुख्यालय, कानपुर।
5. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, कानपुर।
6. उप महाप्रबन्धक (औ0क्षे0)/सहा0 महाप्रबन्धक(औ0क्षे0), यूपीएसआईडीए, मुख्यालय भवन, कानपुर।
7. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीएसआईडीए।
8. गार्ड फाइल।

(संजय प्रसाद)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner